

काव ई० ६६ धारा १५३ उ०प० अधिनियम न० २००९
ग्राम गदनखोड़ा अंदर/बाहर न० १५१०/१०३ न्याय परगना तहसील हड़हा जिला उन्नाव
ग्रेट मैजिस्ट्रेट ऑफ टेक्नालाजी द्वारा संचालित ग्रेट मैजिस्ट्रेट ऑफ टेक्नालाजी द्वारा
पटी बनाम उ०प० सरकार

निर्णय

ग्रेट मैजिस्ट्रेट ऑफ टेक्नालाजी द्वारा संचालित ग्रेट मैजिस्ट्रेट ऑफ टेक्नालाजी द्वारा
लोसाइटी १०६ चरारी चन्द्र नगर कानपुर द्वारा घेयरमैन त्रेजनरायन अग्रवाल पुत्र
राधूलाल अग्रवाल निवासी ५/२७६/२ए पारवती बागला रोड रानीघाटकानपुर
ने धारा १५३ उ०प० अधिनियम के अंतर्गत वाद प्रस्तुत
किया है जिसमें कहा है कि गाटा संख्या ३२६क रकबा ०.७९७०, गाटा संख्या-
३३६ रकबा ०.०५८६०, ३१३ रकबा ०.३३९०६०, ३१४ रकबा ०.१२६०६०, ३२७ रकबा
०.६८४०, ३१२ रकबा ०.५७७० व गाटा संख्या ३२० रकबा ०.०८१६० स्थित
गदनखोड़ा/अंदर न० १०३ तहसील व जिला उन्नाव को वादी ने शिक्षणसंस्थान
हेतु जरिये बनामा जारी है। वादी उक्त भूमि पर कांक्रिट व इरीटिंग है
और उक्त नम्बरान आपस में मिले हुये हैं। वादी ने बनामा कराने के पश्चात
उक्त भूमि को समतल करवाकर उस पर बाउण्ड्री निर्माण करना प्रारम्भ कर
दिया है। उक्त भूमि से आवादी से मिली हुई है और उक्त भूमि पर शैक्षणिक
संस्थान हेतु क्रय की गयी है और उस पर शिक्षण संस्थान का भवन
बांधकर शिक्षण कार्य कराया जायेगा तथा अन्य किसी प्रकार से प्रयोग
नहीं किया जायेगा। अंत में उक्त भूमि को आवासीय घोषित करने का
अनुरोध किया गया है। वादी ने अपने कथान के समर्थन में शपथपत्र भी
प्रस्तुत किया है जिसमें कहा है कि उक्त भूमि सीलिंग पट्टे से प्राप्त नहीं है
बल्कि बनामा से प्राप्त है। उक्त भूमि ग्रामसभा की नहीं है। उक्त भूमि पर
आवेदक का कब्जा है तथा भूमि पर स्वामित्व एवं कब्जे का कोई विवाद नहीं
है। वादी उक्त भूमि पर मैनेजमेंट कालेज बनवाना चाहता है। उक्त भूमि पर
का ग्राम लीडा के अंतर्गत घोषित है लीडा की शर्तों का पालन करेगा।
आवेदित भूमि मैनेजमेंट कालेज हेतु उपयोग करेगा। आवेदित भूमि किसी संस्था
या बैंक में बंधक नहीं है।

वादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर उन्नाव से आख्या मार्ग
गयी जिस पर उनकी आख्या दिनांक: १७-१२-२००८ प्राप्त हुई जो संलग्न पत्रावली
तहसीलदार सदर उन्नाव ने अपनी आख्या दिनांक: १७-१२-०८ द्वारा नायब तह-
सीलदार सदर उन्नाव की आख्या दिनांक: १७-१२-०८ को संस्तुति सहित प्रेषित
किया है। क्षेत्रीय लेखापाल एवं नायब तहसीलदार उन्नाव के बयान कराये गये
जो संलग्न पत्रावली है। लीडा कोनोटिस जारी की गयी।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया।
क्षेत्रीय लेखापाल ने अपने बयान एवं नायब तहसीलदार सदर उन्नाव ने अपनी
आख्या एवं बयान में कहा है कि ग्राम गदनखोड़ा बाहर न० १५१० की भूमि संख्या
३१३ रकबा ०.३३९, ३१४/०.१२६, ३१२ मि०/०.२८८ व ३३६/०.०५८ अंदर नगर
पालिका की भूमि संख्या: ३१५ मि०/०.४७७, ३२६ मि०/०.७९७, ३२७ मि० रकबा

हस्ताक्षर...
२७/१२/२००९ गामर उपाधिकारिक संतर उन्नाव
पत्रावली प्राप्त रा० ३३/१०/३३९० उन्नाव



रकबा 0.215 हे० व 320 मि० रकबा 0.077 हे० के संक्रमणीय भूमिधार ग्रेट ग्रेजि इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी द्वारा संचालित ग्रेट ग्रेजि स्जुकेशन सोसायटी 106 चरारी चन्द्रनगर कानपुर द्वारा चेररमैन तेजनरायन अग्रवाल पुत्र राधोलाल अग्रवाल निवासी 4/276/2-ए० पारवती बागला रोड रानीघाट कानपुर है। प्रस्तावित भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, बागवानी, पशुपालन का कार्य नहीं किया जाता है। प्रस्तावित भूमि की चौहद्दी का नजरी नक्शा संलग्न है। प्रस्तावित भूमि सीलिंग, भूदान व पट्टे से प्राप्त नहीं है और ग्रासभा की नहीं है। संक्रमणीय भूमिधार है। प्रस्तावित भूमि पर आवेदक कब्जा है। प्रस्तावित भूमि में स्वामित्व व कब्जे का कोई विवाद नहीं है। प्रस्तावित भूमि अभी रिक्त पड़ी है तथा प्राथमिक इस भूमि का उपयोग मैनेजमेंट कालेज बनवाना चाहता है। प्रस्तावित भूमि लीडा के अंतर्गत है तथा प्राथमिक ने शपथपत्र दिया है कि वह लीडा की शर्तों का पालन करेगा तथा बिना लीडा के अनुमति के कोई निर्माण कार्य नहीं करेगा। आवेदक प्रस्तावित भूमि का उपयोग मैनेजमेंट कालेज बनाने में करेगा। प्रस्तावित भूमि किसी संस्था/बैंक के पक्ष में बंधाक नहीं है। शपथपत्र संलग्न है। प्रस्तावित भूमि जी० एस० लैण्ड/सरकारी भूमि/लोकल बाडीज लैण्ड नहीं है। बसरा संलग्न है। सी० एच० 41 व 45 संलग्न है। स्थल की फोटोग्राफी संलग्न है।

क्षेत्रीय लेखापाल के बयान, नायब तहसीलदार की आख्या एवं बयान व तहसीलदार की आख्या के अनुसार आवेदित भूमि वादी की संक्रमणीय भूमिधार की भूमि है। आवेदित भूमि गांवसभा/जी० एस० लैण्ड/लोकल बाडीज लैण्ड नहीं है तथा सीलिंग व भूदान व पट्टे से प्राप्त नहीं है। आवेदित भूमि पर कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुटपालन, पशुपालन व मत्स्यपालन कार्य नहीं होता है। आवेदित भूमि विवादित नहीं है और वादी का कब्जा है। वादी उक्त भूमि का उपयोग मैनेजमेंट कालेज बनाने में करेगा। प्रस्तावित भूमि किसी संस्था/बैंक के पक्ष में बंधाक नहीं है। आवेदित भूमि अकृषिक घोषित होने योग्य है परन्तु आवेदित भूमि का ग्राम लीडा के अंतर्गत होने के कारण आवेदित भूमि को इस शर्त के साथ अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है कि वादी नियमानुसार लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लखनऊ लीडा के सहायक अधिकारी की पूर्व अनुमति के पश्चात ही निर्माण कार्य करे तथा लीडा की शर्तों तथा लीडा एवं शासन के निर्देशों एवं आदेशों का पालन करेगा।


आदेश

ग्रेट ग्रेजि इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी द्वारा संचालित ग्रेजि ग्रेजि स्जुकेशन सोसायटी 106 चरारी चन्द्र नगर कानपुर द्वारा चेरर-मैन तेजनरायन अग्रवाल पुत्र राधोलाल अग्रवाल निवासी 4/276/2-ए० पारवती बागला रोड रानीघाट कानपुर के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधार दर्ज ग्राम गदनढोड़ा बाहर नगरपालिका पर 0 हड़हा तहसील व जिला उन्नाव स्थित भूमि गाटा संख्या 313 रकबा 0.339 हे० 314 रकबा 0.126 हे०, 312 मि० रकबा 0.288 हे० व 336 रकबा 0.058 हे० व ग्राम गदनढोड़ा अंदर न० मा० प० प्ररगना हड़हा तहसील व जिला उन्नाव स्थित गाटा

31 अक्टूबर रकबा 0.477 हे०, 3253 रकबा 0.797 हे० व 327 रकबा 0.21 हे०
व 320 रकबा 0.077 हे० को उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक धारणा की धारणा
143 के अंतर्गत इस शर्त के साथ शंकात्मक घोषित किया जाता है कि सहाय
अधिकारी की पूर्व अनुमति के पश्चात ही उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करें।

तदनुसार राजस्व अभिलेखाओं में अमलदरमिद हेतु परवाना अमलदर
जारी-हो 1- बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर की जाय।

दिनांक: 27 जनवरी, 2009


सी.बि.र. सिंह
उप जिला अधिकारी, सदर-उन्नाव

